<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपील/एल.आर/2445/2006/श्रीगंगानगर
हरभजन सिंह बनाम सरकार</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री प्रशान्त सोनी, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री ओ.पी. भट्ट, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

निर्णय
दिनांक 13.05.2019

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13-02-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी, सूरतगढ के समक्ष राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि पर आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के तहत चक 2 एनआरडीए के मु0न0 81/324 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 14 एवं 17 ता 24 की 18.16बीघा भूमि के आवंटन हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 14-09-2004 से खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 13-02-2006 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि

</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/2445/2006/श्रीगंगानगर हरभजन सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि आवंटन अधिकारी ने उनके पक्षकार की ओर से विवादित आराजी के आवंटन बाबत् प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थी विवादित आराजी पर पिछले 30-40 वर्षो से काबिज है तथा राज्य सरकार ने रायसिंह परिवरों को स्थापित करने हेतु नियम 1975 में संशोधन अध्यादेश संख्या-86 दिनांक 18-08-1998 जारी कर रायसिखों को स्थाई आवंटन का प्रावधान किया है, जिसके तहत ही विवादित आराजी का स्थाई आवंटन अपीलार्थी को किया जाना था। उनका कथन है कि विवादित आराजी पोंग बांध विस्थापितों हेतु आरक्षित नहीं है, अगर भूमि आरक्षित होती तो निश्चयन ही भूमि का आवंटन पोंग बाध विस्थापितों को होता। उनका कथन है कि विवादित आराजी राजकीय भूमि है, जिसका अपीलार्थी को आवंटन किये जाने में कोई रूकावट नहीं है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योंग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत आवेदनपत्र को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी के पक्ष में विवादित आराजी का स्थाई आवंटन किया जावे। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार पोंग बांध विस्थापितों हेतु आरक्षित भूमि है, जिसका किसी अन्य के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/2445/2006/श्रीगंगानगर हरभजन सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्ष में आवंटन आदेश जारी नहीं किया जा सकता। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, पारित निर्णय एवं उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी, सूरतगढ के समक्ष राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि पर आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के तहत चक 2 एनआरडीए के मु0न0 81/324 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 14 एवं 17 ता 24 की 18.16बीघा भूमि के आवंटन हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 14-09-2004 से यह मानते हुए कि विवादित आराजी पोंग बांध विस्थापितों हेतु आरक्षित भूमि है, जिसका आवंटन किसी अन्य को नहीं किया जा सकता, आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी तहसीलदार की रिर्पोट अनुसार पोंग बाध विस्थापितों हेतु आरक्षित भूमि है, जिसका प्रावधित प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य को आवंटन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों में किसी प्रकार का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/2445/2006/श्रीगंगानगर हरभजन सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	